न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—02/2024

अपीलाण्टगण **बनाम** उतरदातागण

1. रणवीर कुमार उर्फ राणाराम पुत्र भीखाराम, उम्र—33 साल
2. रावतीदेवी पुत्री भीखाराम, उम्र—30 साल
3. वीरोदेवी पुत्री भीखाराम, उम्र—31 साल
4. गैरोदेवी पुत्री भीखाराम, उम्र 28 साल
5. मूलाराम पुत्र भीखाराम, उम्र—35 साल
6. खेताराम पुत्र भीखाराम, उम्र—38 साल
7. रावताराम पुत्र भीखाराम, उम्र 40 साल

1. सरपंच, ग्राम पंचायत—कादानाडी
2. तहसीलदार—सिणधरी
3. नारणाराम पुत्र किशनाराम
4. रावताराम पुत्र किशनाराम
5. भेराराम पुत्र किशनाराम
6. रुखमोदेवी पुत्री किशनाराम
7. वीरोदेवी पुत्री किशनाराम
8. खेताराम पुत्र भेराराम
9. दोलीदेवी पत्नी भैराराम उम्र—व्यसक, जातियान—जाट, निवासी—कादानाडी, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक—27.03.2025

1.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा—कुकलो की ढाणी के खसरा संख्या 539/1, राजस्व ग्राम लाखाबेरी के खसरा संख्या 187/121, 75 व ग्राम भानासर [illegible] खसरा संख्या 500/225, 409/225, 411/225, पटवार मंडल [illegible] में आयी हुई है। जिस पर बहिस्सा अपीलाण्ट एवं उत[illegible] सं. 3 से [illegible] का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अपीलाण्ट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी [illegible] पिता भीखाराम के फो[illegible] होने पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 186 ग्राम कुकलों की ढाणी, नामान्तकरण सं. 41 ग्राम लाखाबेरी व नामान्तकरण सं. 163 ग्राम कादानाडी (वर्तमान ग्राम भानासर) से प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हुए है। लेकिन उक्त नामान्तकरण में अपीलाण्ट का गलत नाम रावताराम दायर किया गया। जबकि अपीलाण्ट का सही नाम रणवीर कुमार है। अपीलाण्ट द्वारा रावताराम के स्थान पर रणवीर कुमार नाम दुरूस्त करवानें की इस्तादुआ चाही गई है।

2.अपीलाण्ट की अपील के संबध में उतरदातागण की तलबी की गई। उतरदातागण सं. 1, 3 से 9 को जारी सम्मन बाद तामिल होने के उपरांत भी सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एतकरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व नामान्तकरण संख्या 186,41 व 163 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम–कुकलों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा 06.3311 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम–लाखाबेरी में खसरा संख्या 187/121, 75 रकबा 2.5888, 4.3929 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 500/225, 409/225, 411/225 रकबा 0.9304, 0.0162, 5.9623 हेक्टेयर किस्म–बारानी सोयम, पटवार मंडल–कादानाडी, तहसील सिणधरी में अपीलान्टगण के पूर्वज रुपाराम के समय से संयुक्त खातेदारी का खेत आया हुआ है जिसमें प्रत्येक अपीलान्ट का जमाबंदी में दर्ज अनुसार हिस्सा है। अपीलांटगण के पिता भीखाराम के फोत होने पर उसके वारिसान अपीलाण्टगण के नाम नामान्तकरण संख्या 186 ग्राम कुकलों की ढाणी, नामान्तकरण सं. 41 ग्राम लाखाबेरी व नामान्तकरण सं. 163 ग्राम कादानाडी (वर्तमान ग्राम भानासर) पारित किया गया। जिसमें अपीलाण्ट का नाम रणवीर कुमार के स्थान पर रावताराम दायर किया गया। जो नामान्तकरण संख्या 186,41,163 के अवलोकन से स्पष्ट है। पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा–आधार कार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड, बैंक खाता में अपीलाण्ट का नाम रणवीर कुमार अंकित है। इससे भी साबित होता है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रणवीर कुमार है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित होता है। कि अपीलाण्ट का रिकार्ड में रावताराम गलत नाम दायर हो रखा है। और रावताराम के स्थान पर सही नाम रणवीर कुमार दुरूस्त करवानें का अपीलाण्ट हकदार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested

3. लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर [illegible] की **ढाणी के खसरा संख्या 539/1, [illegible] के [illegible] संख्या 187/121, 75, राजस्व ग्राम कादानाडी से बना नवीन [illegible] भानासर धतरवालों की ढाणी के खसरा संख्या 500/225, 409/225, 411/225, पटवार मंडल–कादानाडी, तहसील सिणधरी** भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में

उपखंड अधिकारी
सिणधरी

अंकित प्रविष्टि रावताराम के स्थान पर रणवीर कुमार दर्ज **करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.03.2028 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested